

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली -110124

संख्या 159/05-परीक्षा/वार्षिक कार्यक्रम/पूरक परीक्षा/2020

दिनांक:- 18-08-2020

परीक्षा अनुभाग

2020 का परिपत्र संख्या 07

सेवा में

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा कार्यालयों के सभी विभाग प्रमुख
(ई-मेल सूची के अनुसार)

बिषय:- एसएस/आरए/आई/सीपीडी I एवं II मुख्य परीक्षा 2019 की पूरक परीक्षा के लिए ऑन लाइन पंजीकरण।

महोदय/महोदया,

सामान्यता एसएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है- पूरक परीक्षा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही और मुख्य परीक्षा तीसरी तिमाही में। तथापि, कोविड -19 महामारी के प्रकोप के कारण उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत, पूरक परीक्षा (मुख्य परीक्षा 2019 के अनुरूप) आज तक आयोजित नहीं की जा सकी। इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और जैसे ही स्थिति अनुकूल होती है एक अल्पकालीन सूचना पर परीक्षा आयोजित करने हेतु तैयार रहने का निर्णय लिया गया है।

2. आगामी परीक्षा में बैठने वाले पात्र अभ्यर्थियों का पंजीकरण प्रारंभ करने के लिए पंजीकरण पोर्टल 26 अगस्त 2020 से प्रारंभ होगा। इस चरण में केवल मौजूदा अभ्यर्थियों का पूर्व पंजीकरण (अर्थात जिन्होंने 2010 से 2019 के दौरान एसएस/आरए/ आई/सीपीडी परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था) किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश संलग्न है (अनुलग्नक I एवं II)।
3. कार्यालय के विभागाध्यक्ष, (एचओडी), जहां परीक्षा का पंजीकरण किया जाएगा, एक अधिकारी को परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के रूप में नामित कर सकते हैं जो उप महालेखाकार के पद से कम के न हो, जो अभ्यर्थियों की पंजीकरण प्रक्रिया को प्रबंधित करेंगे। ईआरओ द्वारा आनलाइन पंजीकरण फार्म में प्रविष्ट डाटा को सत्यापित और प्रमाणित करना अपेक्षित होगा। ईआरओ के रूप में नामित अधिकारी का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर पांच कार्य दिवसों में ई-मेल examsection@cag.gov.in पर सूचित किया जा सकता है।

संलग्न: यथोपरि

भवदीय,

मनीष कुमार

(मनीष कुमार)

महानिदेशक (परीक्षा)

एसएस/आरए/आई/सीपीडी परीक्षा के आनलाइन पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश

चरण - 1

इस चरण को पूर्व पंजीकरण कहा जाता है, जिसमें ईआरओ अपने लागइन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके लागइन करेगा और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए लागइन आईडी और ओटीपी जेनरेट करने के लिए पंजीकरण फार्म का भाग-I भरकर अभ्यर्थियों को भेज देगा। मुख्य परीक्षा 2019 के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों के पास पहले से ही उनका लागइन आईडी है और उन्हें आगामी परीक्षा के अभ्यर्थियों की सूची में सीधे जोड़ा जा सकता है।

चरण -2

इस चरण में उम्मीदवार लागइन करेगा और पहले से ही भरे हुए पंजीकरण फार्म की जांच करेगा। यदि अभ्यर्थी कार्यालय द्वारा भरे गए डाटा से सहमत है तो वह पंजीकरण फार्म भाग - II को भरने के लिए आगे बढ़ेगा और उसे सब्मिट करेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि SUBMIT बटन पर क्लिक करने से पहले विवरण की जांच भली-भान्ति करे और फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर लें। यदि अभ्यर्थी पंजीकरण फार्म के भाग-I में पहले से भरे गए डाटा से असहमत है, तो उसे तुरन्त संबंधित ईआरओ से संपर्क करना चाहिए।

चरण - 3

ईआरओ को अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत पंजीकरण फार्म को देखने और इसमें दर्ज किए गए डाटा का सत्यापन करना अपेक्षित है। सेवा रिकार्ड और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड में बेमेलता के मामले में EDIT विकल्प का प्रयोग कर आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यदि ईआरओ अभ्यर्थी के संबंधित परीक्षा में बैठने की पात्रता और पंजीकरण फार्म में दर्ज डाटा की सटीकता के बारे में संतुष्ट है तो वह VALIDATE विकल्प का उपयोग कर अभ्यर्थिता मान्य करेगा। कार्यालय रिकार्ड के लिए भरे गए फार्म का प्रिंट आउट इस चरण में लिया जाना चाहिए।

चरण - 4

इस चरण में एचओडी अपने लागइन आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर ईआरओ द्वार मान्य उम्मीदवारों की सूची देखेंगे और अभ्यर्थिता अनुमोदित/अननुमोदित करेंगे। अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख चैक बाक्स प्रदर्शित किए जाएंगे और केवल चैक किए गए अभ्यर्थियों को ही एचओडी द्वारा APPROVE विकल्प का उपयोग कर अनुमोदित किया जा सकता है। विशेष परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पात्रता मानदंडों का पालन सुनिश्चित करने के लिए इस स्तर पर एक चैक लिस्ट प्रदर्शित की जाएगी।

नोट:-

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पंजीकरण सामान्यतया संवर्ग नियंत्रण कार्यालय द्वारा किया जाना चाहिए। तथापि, प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामलों में, पूर्व पंजीकरण उस कार्यालय के ईआरओ द्वारा किया जा सकता है, जिसमें वह नियुक्त है, यदि उस कार्यालय को कार्यालय कोड आवंटित किया गया है। हालांकि, अभ्यर्थी द्वारा फार्म आनलाइन प्रस्तुत करने के बाद डाटा का सत्यापन और मान्यकरण उसके मूल कार्यालय के ईआरओ द्वारा किया जाना है।

अद्यतित पंजीकरण पोर्टल 2020

भाग -I : ईआरओ के लिए दिशानिर्देश

1. परीक्षा पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) अपने पंजीकरण पोर्टल का उपयोग कर लागइन करेंगे। सफल लागइन करने पर ईआरओ का डैशबोर्ड खुलेगा।
2. पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व पंजीकरण डाटा के तहत अभ्यर्थियों की सूची और पंजीकरण फार्म खाली होगा। ईआरओ को उन पात्र अभ्यर्थियों को एड करना अपेक्षित है जो आगामी परीक्षा में बैठना चाहते हैं। इसमें दो श्रेणियां होंगी:-
 - क) अभ्यर्थी जिनके पास पंजीकरण पोर्टल खोलने के लिए पहले से लागइन आईडी है।
 - ख) अभ्यर्थी जिनके पास पंजीकरण पोर्टल खोलने के लिए लाग इन आईडी नहीं है।
3. ईआरओ ऊपर क्रम सं.2 (क) में अभ्यर्थियों को पिछले परीक्षा डाटा टैब से सीधे जोड सकते हैं। पेपरों में छूट की स्थिति मुख्य परीक्षा 2019 के परिणाम से सत्यापित की जा सकती है।
4. ऊपर क्रम सं. 2 (ख) पर अभ्यर्थियों को जोडने के लिए ईआरओ को लागइन आईडी जेनरेट करना अपेक्षित है जैसा नीचे दर्शाया गया है:
 - क) नए अभ्यर्थियों जिन्होंने 2009 के बाद किसी परीक्षा के लिए कभी पंजीकृत नहीं किया है, के लिए लागइन आईडी सृजित करने के लिए ईआरओ को पंजीकृत फार्म का भाग - I भरने और सबमिट करने की आवश्यकता है।
 - ख) मौजूदा अभ्यर्थियों जिन्होंने 2010 से जून 2019 के दौरान किसी परीक्षा के लिए पंजीकृत किया था, के संबंध में ईआरओ को लागइन आईडी बनाने के लिए उनकी पिछली परीक्षा को सेलेक्ट करना होगा जिनके लिए उन्होंने पंजीकृत किया था और पिछली परीक्षा की इन्डेक्स संख्या एंटर करनी होगी। सबमिट करने पर, सिस्टम अभ्यर्थी की प्रोफाइल दर्शाएगा जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग और वर्ग (एसएस के मामले में)। यह उपयोग किए गए अवसरों की संख्या भी दर्शाएगा और पेपर, जिसमें छूट प्राप्त की हो, यदि कोई हो, तो वह भी दर्शाएगा। इन विवरणों के सत्यापन के बाद, ईआरओ को पंजीकरण फार्म भाग-I की शेष फील्डस भरने और उन्हें सबमिट करने की आवश्यकता है।

5. ऊपर क्रम सं. 3 एवं 4 के आधार पर सिस्टम द्वारा आगामी परीक्षा के लिए लागइन आईडी वार अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। ईआरओ सूची की जांच कर सकता है और सूची के नीचे प्रासंगिक टैब पर क्लिक कर अभ्यर्थियों को लागइन आईडी भेज सकता है।
6. लागइन आईडी की प्राप्ति के बाद, अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल पर लागइन करेंगे और आनलाइन पंजीकरण फार्म भरेंगे/सबमिट करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा सबमिट भरे हुए फार्म पंजीकरण फार्म के तहत परीक्षा वार प्रदर्शित किए जाएंगे। ईआरओ को फार्म में भरे हुए डाटा को सत्यापित और वैद्य करना आवश्यक है जिसे बाद में विभागाध्यक्ष (एचओडी) द्वारा अपनी आईडी का प्रयोग कर आनलाइन अनुमोदित /अननुमोदित किया जा सकता है।
7. यदि किसी भी स्तर पर सिस्टम द्वारा प्रदर्शित डाटा सेवा रिकार्ड/परिणाम से मेल नहीं खाता है तो ईआरओ ऐसे सभी अभ्यर्थियों के संबंध में एमएस एक्सेल में एक समेकित रिपोर्ट पंजीकरण की अन्तिम तिथि से पूर्व परीक्षा अनुभाग की ई-मेल examreg@cag.gov.in पर भेजें और इस संबंध में अगले निर्देशों की प्रतीक्षा करें।

महत्वपूर्ण बिन्दु : ईआरओ लागइन

- एक परीक्षा के लिए पंजीकरण एक अवसर के रूप में गिना जाता है, चाहे उसमें अभ्यर्थी बैठे या नहीं। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थिता की वापसी की अनुमति दी गई है, तो अवसर नहीं गिना जाएगा।
- सभी मौजूदा अभ्यर्थियों के लिए, मूल डाटा (अभ्यर्थी का प्रोफाइल) पिछली परीक्षा का इन्डेक्स नम्बर का प्रयोग कर भरा जाएगा। मूल डाटा में (i) नाम (ii) पिता का नाम (iii) जन्म तिथि (iv) लिंग और (v) वर्ग (एसएस के मामले में) शामिल है। पूर्व भरे गए डाटा को एडिट करने का विकल्प नहीं है। त्रुटि/बेमेलता के मामले में, मामले की सूचना परीक्षा विंग को examreg@cag.gov.in पर दी जाए।
- लागइन आईडी जनरेट करने के लिए ईआरओ द्वारा पिछला इन्डेक्स नम्बर दर्ज किया जाना चाहिए भले ही पिछली परीक्षा जिसके लिए अभ्यर्थी ने पंजीकरण किया था वह उस परीक्षा से भिन्न हो जिसमें वह बैठना चाहता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अभ्यर्थी आरएई में पहली बार बैठना चाहता है, तो लागइन आईडी जनरेट करने के लिए ईआरओ द्वारा दर्ज किया जाने वाला पिछला इन्डेक्स नम्बर एसएस परीक्षा का होगा, क्योंकि यह पिछली परीक्षा थी जिसके लिए उसने पंजीकरण किया था।

भाग - II अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

1. अभ्यर्थी पंजीकरण पोर्टल पर अपने क्रिडेंशियल्स का उपयोग कर लागइन कर सकते हैं। सफल लागइन करने पर, अभ्यर्थी का डैशबोर्ड खुलेगा।
2. अभ्यर्थी को उस परीक्षा का चयन करना अपेक्षित है जिसमें वह बैठना चाहता/चाहती है।
3. यदि वह पहले (2010 से 2019 के दौरान) उस चयनित परीक्षा में बैठ चुका था तो उसका पिछला इन्डेक्स नम्बर सिस्टम पर प्रदर्शित होगा।
4. आगे बढ़ने पर पंजीकरण फार्म प्रदर्शित होगा।
5. पंजीकरण फार्म का भाग-I पहले से भरा होगा। यदि अभ्यर्थी प्रदर्शित डाटा से सहमत है तो वह भाग-II भर सकता है और फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद फार्म आनलाइन सबमिट कर सकता है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसे तुरन्त संबंधित ईआरओ के संज्ञान में लाया जाए।

महत्वपूर्ण बिन्दु – अभ्यर्थी लागइन

- रीपीटर्स के लिए पिछली इन्डेक्स नम्बर अभ्यर्थी के फार्म में स्वतः भरा जाएगा- एडिट करने का कोई विकल्प नहीं होगा।
- दस्तावेजों को अपलोड करना समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थी द्वारा गैर एसएस/प्री-सीबीटी परीक्षाओं को पास करने के लिए किसी पेपर में छूट का दावा सी एंड एजी के एमएसओ (प्रशा.) खण्ड -I के अध्याय 9 के पैरा 9.2.10 के नीचे नोट की शर्तों में केवल ईआरओ द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऐसी परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र/परिणाम के उचित सत्यापन के बाद अनुमत किया जाएगा।
- एसएस परीक्षा में शाखा के अन्तरण के मामले में मुख्यालय अनुमति पत्र/परिपत्र सं. एवं तिथि दर्ज करने की आवश्यकता है और उसे ईआरओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- प्रशिक्षण पूर्णता स्थिति – हॉ या छूट (नहीं के लिए कोई विकल्प नहीं है) ईआरओ द्वारा सत्यापित की जाएगी।